


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 19, 2016/माघ 30, 1937

No. 72]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 19, 2016/ MAGHA 30, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 17 फरवरी, 2016

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(विवरणियों का निरीक्षण और प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./ विनियम/2/114/2016.— बीमा अधिनियम, 1938 की क्रमशः धारा 20(1) और धारा 20(3) के साथ पठित धारा 114 ए(2)(एच) और (ज़ैडडी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विवरणियों का निरीक्षण और प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "निरीक्षण" से प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई विवरणियों अथवा उनकी प्रमाणित प्रति का निरीक्षण अभिप्रेत है।

(घ) "विवरणी" से एक समान आवधिकता के अंतर्गत भौतिक और/ या इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्राधिकरण को विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिए अधिदेशात्मक की गई वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की कोई सूचना, सामग्री, डेटा अथवा विवरण अभिप्रेत है चाहे वह मासिक हो या तिमाही, छमाही, अथवा वार्षिक, एवं जिसका प्रकटीकरण फिलहाल प्रचलित किसी विधि द्वारा बाधित या छूट-प्राप्त न हो, परंतु इसमें विशिष्ट विनियामक प्रयोजनों, जैसे कि व्यावसायिक अथवा अन्वेषण-संबंधी प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण द्वारा माँगी गई सूचना, सामग्री, डेटा अथवा विवरण सम्मिलित नहीं होंगे।

बशर्ते कि यह निर्धारण कि क्या किसी विवरणी में निहित सूचना का प्रकटीकरण कानून के अंतर्गत प्रदत्त उपर्युक्त अपवर्जनों और छूटों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. विवरणी का निरीक्षण

(1) अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन किसी विवरणी के निरीक्षण की अपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति लिखित में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा उक्त आवेदन प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय को प्रेषित करेगा।

(2) किसी भी विवरणी के निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण उक्त आवेदन के प्राप्त होने पर वह तारीख निर्दिष्ट करेगा जब उक्त व्यक्ति प्राधिकरण के कार्यालय परिसर में विवरणी का निरीक्षण कर सकता है।

बशर्ते कि ऐसी तारीख उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य-दिवसों के बाद नहीं होगी।

4. विवरणी की प्रति की आपूर्ति

(1) अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन किसी विवरणी की प्रति की अपेक्षा करने वाला कोई व्यक्ति लिखित में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा उक्त आवेदन प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय को प्रेषित करेगा।

(2) धारा 20(1) के अधीन विवरणी की प्रति उपलब्ध कराने के लिए शुल्क निम्नलिखित दर से प्रभारित किया जाएगा:

भौतिक रूप में उसके प्रत्येक पृष्ठ अथवा उसके भाग के लिए केवल एक सौ रुपये (100/- रुपये) तथा इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्येक पृष्ठ के लिए केवल पचहत्तर रुपये (75/- रुपये)।

- (3) उक्त शुल्क नकद भुगतान द्वारा अथवा "भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के नाम माँग ड्राफ्ट (डीडी) अथवा बैंकर चेक के द्वारा अदा किया जाएगा अथवा इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के माध्यम से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खाते में अंतरित किया जाएगा।
- (4) प्राधिकरण लागू शुल्क की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य-दिवसों के अंदर विवरणी की प्रति प्रेषित करेगा।

5. बीमाकर्ता द्वारा संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों (मेमोरैण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसियेशन) की प्रति की आपूर्ति

- (1) अधिनियम की धारा 20(3) के अधीन संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति की अपेक्षा करने वाला किसी बीमाकर्ता का पॉलिसीधारक लिखित में बीमाकर्ता के कॉरपोरेट कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) धारा 20(3) के अधीन संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित दर से शुल्क प्रभारित किया जाएगा:
- भौतिक रूप में प्रत्येक पृष्ठ अथवा उसके भाग के लिए केवल एक सौ रुपये (100/- रुपये) तथा इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रत्येक पृष्ठ के लिए केवल पचहत्तर रुपये (75/- रुपये)।
- (3) उक्त शुल्क नकद भुगतान द्वारा अथवा बीमाकर्ता के नाम माँग ड्राफ्ट (डीडी) अथवा बैंकर चेक के द्वारा अदा किया जाएगा अथवा इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के माध्यम से बीमाकर्ता के खाते में अंतरित किया जाएगा।
- (4) बीमाकर्ता लागू शुल्क की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य-दिवसों के अंदर संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रति प्रेषित करेगा।

6. कठिनाइयाँ दूर करने और स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार

इन विनियमों के किसी भी उपबंध को लागू करने अथवा उसका अर्थनिर्णय करने में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष आवश्यक समझे जाने वाले उपयुक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./161/(373)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 17th February, 2016

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (INSPECTION AND FEE FOR SUPPLY OF COPIES OF RETURNS) REGULATIONS, 2015

F. No. IRDAI/Reg/2/114/2016.—In exercise of the powers conferred by section 114 A(2) (h) and (zd) read with Section 20(1) and Section 20 (3) respectively of the Insurance Act 1938 and Section 26 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement

- (1) These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority of India (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. Definitions

(1) In these regulations, unless the context requires otherwise—

(a) “Act” means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) “Authority” means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(c) “Inspection” means inspection of returns or their certified copy thereof submitted to the Authority.

(d) “Return” means any information, material, data or statement, financial or otherwise mandated to be submitted by the regulated entities to the Authority in physical and/or electronic form in uniform periodicity, whether monthly, quarterly, half yearly, or annually and the disclosure of which is not barred or exempted by any law for the time being in force but shall not include the information, material, data or statements called for by the Authority for specific regulatory purposes, such as business or investigative purposes:

Provided that the evaluation of whether the disclosure of information contained in a return falls within the above exclusions and exemptions provided under law shall be done by a Committee constituted by the Chairperson of the Authority for this purpose.

(2) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or in any Rules or Regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. Inspection of return

- (1) Any person seeking inspection of any return under Section 20 (1) of the Act, shall make an application to the Authority in writing and send the same to the Head office of the Authority.
- (2) There shall be no fee for inspection of any return.
- (3) The Authority, on receipt of the application, shall indicate a date on which the person can inspect the return at the office premises of the Authority.

Provided that such date shall not be beyond 30 working days from the date of receipt of the application

4. Supply of Copy of return

- (1) Any person seeking a copy of any return under Section 20 (1) of the Act, shall make an application to the Authority in writing and send the same to the Head office of the Authority
- (2) For providing copy of the return under Section 20 (1), the fee shall be charged at the following rate: rupees One hundred only (Rs.100/-) for each page or part thereof in physical form and rupees Seventy five (Rs. 75/-) per page in electronic form.
- (3) The fee shall be paid by way of cash or by way of a demand draft or banker’s cheque in favour of the “Insurance Regulatory and Development Authority of India” or transferred to the account of Insurance Regulatory and Development Authority of India through electronic fund transfer.
- (4) The Authority shall furnish a copy of the return within 30 working days from the date of receipt of the applicable fee.

5. Supply of a copy of Memorandum and articles of association by the insurer

- (1) A policyholder of an insurer seeking a copy of memorandum and articles of association under Section 20 (3) of the Act, shall make an application to Corporate Office of the insurer in writing.
- (2) For providing copy of the Memorandum and articles of association under Section 20 (3), the fee shall be charged at the following rate: rupees One hundred only (Rs.100/-) for each page or part thereof in physical form and rupees Seventy five (Rs. 75/-) per page in electronic form.

- (3) The fee shall be paid by way of cash or by way of a demand draft or banker's cheque in favour of the insurer or transferred to the account of the insurer through electronic fund transfer.
- (4) The insurer shall furnish a copy of the memorandum and articles of association within 30 working days from the date of receipt of the applicable fee.

6. Power to remove difficulties and issue clarifications

In order to remove any doubts or the difficulties that may arise in the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as deemed necessary.

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III /4/Exty/161/373]